

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 87 /

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 03/04/2025

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालयों से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार सिविल प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किया जाता है:-

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	08वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा	MACC No.01-20	16वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा
2.	10वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा	MACC No.41-53 & 57-70	
3.	15वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा	MACC No.51-100	
4.	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	HMA No.26-75	

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 1659 /

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 03/04/2025

प्रतिलिपि:-

- 05वें/08वें/10वें/15वें एवं 16वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा (म0प्र0)
- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
- जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)